क्रम संख्या–242

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 01 अक्टूबर, 2013 ई0

आश्विन 09, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 348/XXXVI(3)/2013/65(1)/2013

देहरादून, 01 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ''उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2013'' पर दिनांक 30 सितम्बर, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 31 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

"उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013"

(उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 31 वर्ष, 2013)

उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए भारत गणराज्य के 64वें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013" होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 61 में प्रतिस्थापन 2– मूल अधिनियम, 2011" की धारा 61(2)(दस) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

"धारा 61(2)(दस) – इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने या विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन को सामान्य रूप से विनियमित करने के लिए कोई अन्य प्रयोजन;

परन्तु यह कि मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों, गलियों के निर्माण एवं अनुरक्षण में इस निधि का अधिकतम 50प्रतिशत ही व्यय किया जाएगा।"

आज्ञा से,

के0डी0 भट्ट

प्रमुख सचिव।

No. 348/XXXVI(3)/2013/65(1)/2013
Dated Dehradun, October 01, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Devlopment & Regulation) (Ammendment) Act, 2013'** (Adhiniyam Sankhya 31 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 30 September, 2013.

The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Development & Regulation) (Amendment) Act, 2013

(Uttarakhand Act No. 31 of 2013)

Be it enancted by the Legislative Assembly of Uttarakhand in the Sixty Forth Year of the Republic of India as follows,

An

Act

further to amend The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Devlopment & Regulation) Act, 2011 as follows:-

Short Title and Commencement 1- (1) This Act may be called The Uttarakhand Agricultural Produce Marketing (Devlopment & Regulation) (Ammendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force at once.

Substitution of Section 61(2)(j) 2- In the Principal Act, 2011, the section 61(2)(j) is hereby substituted, namly

"Section 61(2)(j) – any other purpose, to give effect to the provisions of this Act or generally to regulate marketing of specified agricultural produce;

Provided that to construct link roads and lanes and maintenance thereof, maximum of 50percent of this fund shall be spent."

By Order,

K. L. BHATT,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 58 विधायी/543–2013–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।